# न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 148/2019

शीर्षक

1. भवानी सिंह पुत्र सरदार सिंह कौम दरोगा, निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. अनोप देवी पत्नी मोहना
2. अर्जुन पुत्र भूरा
3. इन्द्र सिंह पुत्र बल्ला
4. कलयाण पुत्र हनुमान
5. गुलाब कंवर पत्नी बल्ला
6. गोपाल पुत्र सुजा
7. जगदीश पुत्र सुजा
8. घूणसिंह पुत्र प्रहलाद
9. नाथू पुत्र प्रभू
10. नाथू पुत्र बल्ला
11. नारायणी पत्नी प्रहलाद
12. फूला पुत्र लच्छू
13. बाबूलाल पुत्र पोखर
14. मन्नी पुत्री प्रहलाद
15. मुरली पुत्र लच्छू
16. माली देवी पुत्री बल्ला
17. मालीराम पुत्र मोहना
18. रामू सिंह पुत्र बल्ला
19. लक्ष्मण सिंह पुत्र बल्ला
20. श्योना पुत्र सुजा
21. हरि पुत्र लच्छू
22. दिलीप सिंह पुत्र रूडा
23. पप्पू पुत्र बाबूलाल
24. भंवरी देवी पत्नी रूडा
25. मु0 ज्याना पत्नी हनुता
26. माला पुत्र बाबूलाल
27. शेरसिंह पुत्र रूडा
28. हनुमान पुत्र बाबूलाल

समस्त जातियान दरोगा, निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

29. प्रकाश गुर्जर पुत्र हनुमान सहाय जाति गुर्जर
30. किरण अग्रवाल पत्नी मनोज जाति महाजन
31. धर्मराज पुत्र जगन्नाथ जाति यादव

समस्त निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

32. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
33. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा मनोहरपुर जिला जयपुर
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

35. राजू पुत्री स्व0 सरदार सिंह कौम दरोगा निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अन्तर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 21-10-2022

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हाल आ0 खाता सं0 225 के खा0न0 404/3884/0.07, 406/0.10, 407/0.14 कुल किता 3 रकबा 0.31 है0 भूमि वाके ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

2. वादी व प्रतिवादी सं0 व तरतीबी प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि हाल आराजी खाता सं0 224 के खा0 न0 392/0.30, 393/0.19 394/0.20, 395/0.20, 396/0.21, 397/0.03, 398/0.03, 400/0.84, 401/0.13, 402/0.13, 403/0.11, 404/0.16, 405/0.10, 421/0.19, 422/0.20, 424/0.40, 426/0.30, 427/0.031, 428/0.28 कुल किता 19 रकबा 4.09 है0 वाके ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

सहायक कलक्टर

3. वाद व प्रतिवादी सं0 30 व 31 की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हाल आराजी खाता सं0 67 के ख0न0 2505/1.10, 2506/1.02 कुल किता 2 रकबा 2.12 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

4.वाद पत्र के खसरा नं0 1 लगायत 3 में वर्णित आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है जिसका आजतक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार शामलाती में ही सहखातेदार काश्त करते आते है।

5.वाद पत्र के खण्ड सं0 1 लगायत 3 में वर्णित आराजी मुतनाजा वादी व तरतीबी प्रतिवादी की पैतृक संयुक्त हिन्दू खानदान की भूमि है, जो पूर्व में सरदार सिंह पुत्र प्रभु सिंह के नाम दर्ज खातेदारी रही है तथा वादी के पिता का देहान्त दिनांक 20.06.1996 को वाकै ग्राम बिशनगढ शाहपुरा जयपुर में हो चुका है तथा वादी के पिता की मृत्यु के 1 माह पूर्व यानी 20.05.1996 को वादी की माता टवरी देवी व वादी का भाई जो उस समय 1 वर्ष का माता की गोद में था घर छोडकर कहीं लापता हो गये तथा वादी के पिता की मृत्युपर 12 वे के दिन भी घर नहीं आये तथा वादी 5 वर्ष व उसकी बहन तरतीबी प्रतिवादी मात्र 3 वर्ष की आयु के थे जिन्होंने ग्राम के मौजीज व्यक्तियो मदद से अपने पिता का दाह संस्कार व क्रियाकर्म किये थे तथा बमुश्किल अपना जीवन यापन किया है तथा आज बालिग हुये है जबकि सन 1996 से वादी की माता टवरी देवी व भाई दलीप का जीवित होने या कहीं रहवास का कोई पता नहीं लगा है जबकि राजस्व रिकार्ड में विरासत नामान्तरकरण में उनका नाम दर्ज है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक समय से किसी व्यक्ति के जीवित या मृत होने का पता नहीं होने की सूरत में कानून सिविल मृत्यु होने की अवधारणा है अर्थात टवरी देवी व दलीप विगत 23 वर्षों से अधिक समय से लापता है जिनकी आज तक कोइ सूचना प्राप्त नहीं हुई है ऐसी सूरत में उनहे मृत माना जावेगा तथा मृतक के वादी व तरतीबी प्रतिवादी ही विधिक वारिसान है तथा हिन्दू विधि के अनुसार प्रथम व द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिस होने से मृतक की सम्पत्ति में उत्तराधिकार रखने से विरासत में उक्त भूमि प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी है।

6.वादी के भाई व माता के लापोश हो जाने की स्थिति में सम्पूर्ण आराजीयात वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने ही आज तक काश्त करके अपना जीवन यापन कर रहे है तथा वादी ने अपने नाम की कुछ भूमि बेचान कर दी है जबकि वादी की माता व भाई के नाम की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से सहखातेदार आये दिन सीमा विवाद डोल विवाद विशिष्ट भूभाग पर कब्जा करने की धमकी देते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना कतई संभव नहीं रहा है।

7.दिनांक 05.12.2019 को वादी अपनी खातेदारी भूमि की देखभाल करने हेतु गया था कि अचानक प्रतिवादीगण एक राय होकर प्रश्नगत भूमि पर घुस आये तथा आते ही काश्त में दखलदांजी पैदा करने लगे तथा वादी के सांथ आमादा फिसाद हो गये कि हम विशिष्ट भूभाग पर कब्जा करके रहेगे तथा वादी को बेदखल करके रहेगे जिस पर वादी ने कहा कि हम सब मिलकर प्रश्नगत आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा कर लेते है तथा अपना अपना हिस्सा अलग अलग करके काश्त करते है तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये तथा एलानिया धमकी दी कि हम किसी कदर भी कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे जबकि विशिष्ट भू भाग को अपने कब्जे में करके रहेगे तथा वादी को एक इंच भूमि पर काश्त नहीं करने देगे जिस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

8.(1) अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 लगायत 3 में वर्णित हाल आ0 खाता सं0 225 के ख0न0 404/3884/0.07, 406/0.10, 407/0.14 कुल किता 3 रकबा 0.31 है0 भूमि वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, हाल आराजी खाता सं0 224 के ख0 न0 392/0.30, 393/0.19 394/0.20, 395/0.20, 396/0.21, 397/0.03, 398/0.03, 400/0.64, 401/0.13, 402/0.13, 403/0.11, 404/0.16, 405/0.10, 421/0.19, 422/0.20, 424/0.40, 426/0.30, 427/0.031, 428/0.26 कुल किता 19 रकबा 4.09 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, हाल आराजी खता सं0 57 के ख0न0 2505/1.10, 2506/1.02 कुल किता 2 रकबा 2.12 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के सहखातेदार टवरी देवी पत्नी सरदारसिंह व दिलीप सिंह पुत्र सरदारसिंह की जगह वादी व तरतीबी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(2) वाद पत्र के खण्ड सं0 1 लगायत 3 में वर्णित हाल आ0 खाता सं0 225 के ख0न0 404/3884/0.07, 406/0.10, 407/0.14 कुल किता 3 रकबा 0.31 है0 भूमि वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, हाल आराजी खाता सं0 224 के ख0 न0 392/0.30, 393/0.19 394/0.20, 395/0.20, 396/0.21, 397/0.03, 398/0.03, 400/0.64, 401/0.13, 402/0.13, 403/0.11, 404/0.16, 405/0.10, 421/0.19, 422/0.20, 424/0.40, 426/0.30, 427/0.031, 428/0.26 कुल किता 19 रकबा 4.09 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, हाल आराजी खता सं0 57 के ख0न0 2505/1.10, 2506/1.02 कुल किता 2 रकबा 2.12 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादी तरतीबी प्रतिवादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड (सरस नरस) के आधार पर रास्ता खोला वगै0 को ध्यान में रखते हुये राजस्व नियमावली के मुताबिक कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

(3) यह कि प्रतिवादीगण उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड सं0 1 लगायत 3 में वर्णित हाल आ0 खाता सं0 225 के ख0न0

सहायक कलक

404/3884/0.07, 406/0.10, 407/0.14 कुल किता 3 रकबा 0.31 है0 भूमि वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, हाल आराजी खाता सं0 224 के ख0 न0 392/0.30, 393/0.19 394/0.20, 395/0.20, 396/0.21, 397/0.03, 398/0.03, 400/0.64, 401/0.13, 402/0.13, 403/0.11, 404/0.16, 405/0.10, 421/0.19, 422/0.20, 424/0.40, 426/0.30, 427/0.031, 428/0.26 कुल किता 19 रकबा 4.09 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, हाल आराजी खता सं0 57 के ख0न0 2505/1.10, 2506/1.02 कुल किता 2 रकबा 2.12 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर से वादी व तरतीबी प्रतिवादी को जबरन बेदखल नहीं करे ना ही विशिष्ट भू-भाग का अन्य व्यक्ति को रहन बय हस्ताक्षर करे, वादी को अपनी खातेदारी भूमि का पूर्व भांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। वकील वादी द्वारा दिनांक 18.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 नाम हटाने व दादरसी बंटवारा अन्तर्गत 151 सीपीसी पेश किया जिसका वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 17.08.2022 को वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 का नाम हजफ किया गया व वाद पत्र में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष बंटवारे को विलोपित किया गया। प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य पेश किये गये। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद पत्र केवल खातेदारी घोषणा कर डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा अपनी माता टवरी देवी व भाई दिलीप सिंह की जगह वादी व उसकी बहन तरतीबी प्रतिवादी संख्या 35 को बराबर-बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है। टवरी देवी व दिलिप सिंह सन् 1996 से वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 20.06.1996 के एक माह पूर्व से गायब हो चुके है तथा आज तक लगभग 26 वर्षो से उनके जीवित या मृत होने की कोई सूचना नही है जिसके संबंध में वादी द्वारा सिविल न्यायालय से उनकी मृत्यु की घोषणा के संबंध मे कोई साक्ष्य या दस्तावेज नही किये है जिससे उत्तराधिकारियों के संबंध में निर्णय नही किया जा सकता है।

अतः वादी द्वारा अपनी माता टवरी देवी व भाई दिलीप सिंह की सिविल न्यायालय से मृत्यु की घोषणा नही करवाने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-10-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

21/10/22

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 146 / 2019

शीर्षक

1. भवानी सिंह पुत्र सरदार सिंह कौम दरोगा, निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. अनोप देवी पत्नी मोहना
2. अर्जुन पुत्र भूरा
3. इन्द्र सिंह पुत्र बल्ला
4. कलयाण पुत्र हनुमान
5. गुलाब कंवर पत्नी बल्ला
6. गोपाल पुत्र सुजा
7. जगदीश पुत्र सुजा
8. पूणसिंह पुत्र प्रहलाद
9. नाथू पुत्र प्रभू
10. नाथू पुत्र बल्ला
11. नारायणी पत्नी प्रहलाद
12. फूला पुत्र लच्छू
13. बाबूलाल पुत्र पोखर
14. मन्नी पुत्री प्रहलाद
15. मुरली पुत्र लच्छू
16. माली देवी पुत्री बल्ला
17. मालीराम पुत्र मोहना
18. रामू सिंह पुल बल्ला
19. लक्ष्मण सिंह पुत्र बल्ला
20. श्योना पुत्र सूजा
21. हरि पुत्र लच्छू
22. दिलीप सिंह पुत्र रूडा
23. पप्पू पुत्र बाबूलाल
24. भंवरी देवी पत्नी रूडा
25. मु0 ज्याना पत्नी हनुता
26. माला पुत्र बाबूलाल
27. शेरसिंह पुत्र रूडा
28. हनुमान पुत्र बाबूलाल

समस्त जातियान दरोगा, निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

29. प्रकाश गुर्जर पुत्र हनुमान सहाय जाति गुर्जर
30. किरण अग्रवाल पत्नी मनोज जाति महाजन
31. धर्मराज पुत्र जगन्नाथ जाति यादव

समस्त निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

32. शाखा प्रबनघक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
33. शाखा प्रबनघक एस.बी.आई. शाखा मनोहरपुर जिला जयपुर
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

35. राजू पुत्री स्व0 सरदार सिंह कौम दरोगा निवासी बिशनगढ तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 21-10-2022

अतः वादी द्वारा अपनी माता टवरी देवी व भाई दिलीप सिंह की सिविल न्यायालय से मृत्यु की घोषणा नही करवाने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-10-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3 प्रदर्श के लिए स्टाम्प<br>4 ____ रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय<br>6 कमिश्नर की फीस<br>7 आदेशिका की तामिल | / | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | / |
| जोड | | जोड़ | |

न्यायालय सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.